पत्र संख्या ए0/एक्ट- 07/2017....7651..../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना दिनांक....23-10-19....

विषय:- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन विशेष न्यायालय अभिहित किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक-75965 दिनांक-20.09.2019 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय अभिहित किए जाने के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-7369 दिनांक-14.10.2019 से संबंधित गजट की 05 (पाँच) प्रतियाँ आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-मदन किशोर कौशिक
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-....7651..../जे0 **पटना, दिनांक**-....23-10-19....

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (मु0), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को गजट की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

22/10/19

(मदन किशोर कौशिक)
सरकार के सचिव, बिहार।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1160) पटना, मंगलवार, 15 अक्तूबर 2019

विधि विभाग

अधिसूचना
14 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 391, दिनांक 15 अक्तूबर 2019—'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (2016 का 49) की धारा-84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अधीन अपराधों के विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक सत्र खंड के कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0 ए0/एल0-07/2017-7369/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के उप-सचिव।

---

14 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 391 दिनांक 15 अक्तूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/एल0-07/2017-7369/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के उप-सचिव।

197

The 14th October 2019

S. O. 391 dated 15th October 2019—In exercise of the powers conferred by section 84 of The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016) in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna, the State Government of Bihar is pleased to designate the Court of the Junior most Additional District and Sessions Judge in each of the Sessions Divisions of Bihar as Special Court for the purpose of trial of all offences under The Right of Persons With Disabilities Act, 2016.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

(File No.-A/act -07/2017/7369/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
MADAN KISHORE KAUSHIK,
Secretary to Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1160-571+100 -डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in